कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2024/ 13 दिनांकः– 19.01.2024

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022/4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी 2024 को प्राधिकरण कार्यालय में सायः 05.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 ::	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सहायक अभिंयता विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आवंटित भूमि सेक्टर बी के सामने 60 मीटर Wide Road पहाडी के पास 1 बीघा जमीन प्रस्तावित है मौके पर 1 बीघा जमीन समतल है एवं कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। मौका informal sector के बाद दिये जाने हेतु informal area (20370sqm) को छोडकर 1 बीघा दिया जाना प्रस्तावित है अतैव informal area की दुरी = L कितनी है एवं 1 बीघा का area का भी संलग्न कर SITE PLAN बनाया जाना है ताकि मौके पर DEMACATION किया जा सके।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि मास्टर प्लान डवलपमेन्ट अनुसार हिली एवं रोकी भू–उपयोग के अन्तर्गत आरक्षित है कनिष्ठ अभियन्ता कि टिप्पणी के अनुसार उक्त भूमि मौके पर समतल है अतः विधुत सब स्टेशन हेतु आवंटित कि जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 कुल रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उक्त प्रकरण पूर्व में 16 फरवरी 2023 को बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बैठक द्वारा सःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु जोधपुर डिस्कॉम के Commercial circular no- 960 के अनुरूप load design की गणना अनुसार 2500 केवीए से ज्यादा होने के कारण 33/11 केवी जीएसएस

Scanned with OKEN Scanner

हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन विकासकर्ता द्वारा किया जाना है चूंकि उक्त भूमि/ योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर के स्वामित्व की है।

अतः राजीव गाधी नगर योजना सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सहायक अभिंयता विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 02 ::	**राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सहायक अभिंयता विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर ए ग्राम चौखा के खसरा सख्या 61–71 में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवंटित भूखण्ड सेक्टर ए में अनुमोदित मानचित्र अनुसार दिया गया है सेक्टर ए में मुटाम अनुसार विद्युत सब स्टेशन हेतु भूमि निम्नुसार उपलब्ध है एव कोई अतिक्रमण नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गाधी नगर योजना में पैरा एन/3 पर उल्लेखित भूमि विद्युत सब स्टेशन हेतु आरक्षित है जिसे जीएसएस हेतु आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 कुल रकबा 1 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

Scanned with OKEN Scanner

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उक्त प्रकरण पूर्व में 16 फरवरी 2023 को बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बैठक द्वारा सःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु जोधपुर डिस्कॉम के Commercial circular no- 960 के अनुरूप load design की गणना अनुसार 2500 केवीए से ज्यादा होने के कारण 33/11 केवी जीएसएस हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन विकासकर्ता द्वारा किया जाना है चूंकि उक्त भूमि/ योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर के स्वामित्व की है।

अतः राजीव गाधी नगर योजना सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सहायक अभिंयता विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डोर जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर ए ग्राम चौखा के खसरा सख्या 61–71 में विद्युत सब स्टेशन बनवाने प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर ए में विद्युत सब स्टेशन बनवाने हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 03 ::	**सहायक अभिंयता कार्यालय निर्माण हेतु सेक्टर सी Hillock के पास पीएचडी के आरक्षित भूमि में 900 वर्गमीटर भूमि आवंअन बाबत्।**

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषेषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण हेतुं सेक्टर सी Hillock के पास पीएचडी के लिए आरक्षित भूमि में 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशषां की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स प्रस्तुत कर सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण हेतु सेक्टर सी Hillock के पास पीएचडी लैंड में क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

कनिष्ठ अभिंयता की रिपोर्ट अनुसार There are land proposed for phed in aprooved map in sector c at rajeevgandhi nagar and land are found vacant.

भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की योजना राजीव गाधी नगर योजना में स्थित है।

Scanned with OKEN Scanner

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गाधी नगर योजना, रामराज नगर भूमि आवंटन हेतु किसी भी न्यायालय की कोई रोक नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेष क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण हेतु राजीव गाधी नगर योजना सेक्टर सी में 900 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स प्रस्तुत कर सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण हेतु सेक्टर सी Hillock के पास पीएचडी लैंड में क्षैत्रफल 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	सहायक अभियंता कार्यालय निर्माण हेतुं सेक्टर सी Hillock के पास पीएचडी के लिए आरक्षित 900 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 04 ::	**विद्युत सब स्टेशन हेतु राधाकृष्ण पुरम् योजना सेक्टर सी चौखा में भूमि आवंटन बाबत्।**

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज/टिप्पणियों</u> के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	विद्युत सब स्टेषन हेतु राधाकृष्ण पुरम् योजना सेक्टर सी चौखा में भूमि आवंटन की अभिषंषा की गई है।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर राधाकृष्णा पुरम् बोम्बे योजना ग्राम चौखा के खसरा संख्या 16 व 17 में विधुत सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

कनिष्ठ अभियता की रिपोर्ट अनुसार There are vacant land available for reserved for facility in 160 feet road toward chokha in sector C radha krishnapuram and area approx 2500 sqm found with boundary , attached approoved map of radhakrishnapuram yojna chokha.

भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की योजना राधाकृष्ण पुरम् योजना चौखा सेक्टर सी में स्थित है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विधुत वितरण निगम

Scanned with OKEN Scanner

लिमिटेउ के कार्यालय हेतु सेक्टर सी राधाकृष्ण पुरम ग्राम चौखा में भूमि आवंटन हेतु किसी भी न्यायालय की कोई रोक नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेष क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु राधाकृष्ण पुरम् योजना चौखा सेक्टर सी में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेष है।

निर्णय

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र स में आवेदन प्रस्तुत कर राधाकृष्णा पुरम् बोम्बे योजना ग्राम चौखा के खसरा संख्या 16 व 17 में विधुत सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन की मांग की है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	विद्युत सब स्टेशन हेतु राधाकृष्ण पुरम् योजना सेक्टर सी चौखा में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। भूमि	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 05 ::	**ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल (धर्मशाला) हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल (धर्मशाला) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल धर्मशाला हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटडा खसरा संख्या 48 क्षेत्रफल 17.4743 हैक्टर किंस्म गै. मु. गोचर में आवेदित स्थल सार्वजनिक विश्राम स्थल धर्मशाला हेतु, का मौका निरीक्षण सरपंच प्रतिनिधि श्री रामकिशोर परिहार के साथ किया गया। खसरा संख्या 48 प्राधिकरण के स्वामित्व की है। आवेदित स्थल बाबा रामदेव

मंदिर व बाबा रामदेव नाडी के पास स्थित है। मौके पर भूमि खाली है। मौके पर खसरा संख्या 48 से कच्चा रास्ता चल रहा है जिसका राजस्व नक्शा में इन्द्राज नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–31 अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण है तथा डीसीआर अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में सार्वजनिक विश्राम स्थल का अलग से उल्लेख नही है परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 रूरल लैण्ड यूज में जन–उपयोगी सुविधायें अनुज्ञेय किये जा सकते है। उक्त भूमि एमडीपी/जेडडीपी की किसी भी सडक पर स्थित नही है व उक्त भूमि के लिये पहुंच मार्ग जमाबंदी अनुसार उपलब्ध नही है परन्तु मौके पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार कच्चा रास्ता है।

विधि शाखा अनुसार ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार धर्मशाला हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा आबादी भूमि मे आवंटन योग्य भूमि की अनुपलब्धता का पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः ग्राम ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल (धर्मशाला) हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल धर्मशाला हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक विश्राम स्थल (धर्मशाला) हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 06 ::	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटडा खसरा संख्या 48 क्षेत्रफल 17.4743 हैक्टर किस्म गै. मु. गोचर में आवेदित स्थल सार्वजनिक सभा भवन हेतु, का मौका निरीक्षण सरपंच प्रतिनिधि श्री रामकिशोर परिहार के साथ किया गया। मौके पर भूमि खाली है तथा बाबा रामदेव मंदिर के चारो तरफ तारबंदी की परिधि के भीतर भूमि खाली है। मौके पर खसरा संख्या 48 से कच्चा रास्ता चल रहा है जिसका राजस्व नक्शा में इन्द्राज नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–31 अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण है तथा डीसीआर अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में सार्वजनिक सभा भवन का अलग से उल्लेख नही है परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में सामाजिक सुविधायें अनुज्ञेय किये जा सकते है। उक्त भूमि एमडीपी/जेडडीपी की किसी भी सडक पर स्थित नही है व उक्त भूमि के लिये पहुंच मार्ग जमाबंदी अनुसार उपलब्ध नही है परन्तु मौके पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार कच्चा रास्ता है।

विधि शाखा अनुसार ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार सामुदायिक केंद्र हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से आवंटन करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा आबादी भूमि मे आवंटन योग्य भूमि की अनुपलब्धता का पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः ग्राम ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन (सामुदायिक केन्द्र) हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 07 ::	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू-तल जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू-तल जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू-तल जलाशय निर्माण हेतु रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई ळें

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर खसरा संख्या 554/155 क्षेत्रफल 61.9734 हैक्टर किंस्म गै. मु. गोचर में आवेदित स्थल भू-तल जलाशय निर्माण हेतु मौका निरीक्षण सरपंच प्रतिनिधि श्री सांवर परिहार के साथ किया गया। खसरा संख्या 554/155 प्राधिकरण के स्वामित्व की है। आवेदित स्थल खाली है एवं खसरा सख्या 554/155 में मौके पर ग्रेवल सडंक पर स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–31 अनुसार भू-उपयोग रूरल है। तथा उक्त भूमि एमडीपी किसी भी तरह की सड़क पर स्थित नही है परन्तु पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर ग्रेवल सडक उपस्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 रूरल लैण्ड यूज में जल आपूर्ति केन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर के खसरा संख्या 554/155 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमि आंवटन हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है। जबकि उक्त भू-तल जलाशय का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय स्वीकृति, सहायक अभिंयता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान संलग्न किया है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू-तल जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू–तल जलाशय निर्माण हेतु रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 554/155 में भू–तल जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 08 ::	**ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल.आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।**

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल.आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 995 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल. आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटडा खसरा संख्या 48 क्षेत्रफल 17.4743 हैक्टर किस्म गै. मु. गोचर में आवेदित स्थल भूतल जलाशय निर्माण का मौका निरीक्षण सरपंच प्रतिनिधि श्री रामकिशोर परिहार के साथ किया गया। खसरा संख्या 48 प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है एवं भूमि मौके पर रिक्त है आवेदित स्थल बाबा रामदेव मंदिर व बाबा रामदेव नाडी के पास स्थित है मौके पर खसरा संख्या 48 से कच्चा रास्ता चल रहा है जिसका राजस्व नक्शा में इन्द्राज नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी/जेडडीपी/31 अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण है तथा डीसीआर अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में जी.एल.आर टेंक का अलग से उल्लेख नही है परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.1(88)नविवि/3/2020 दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में जन उपयोगी सुविधा अनुज्ञेय है उक्त भूमि एमडीपी/जेडडीपी की किसी भी पहुंच मार्ग जमाबंदी अनुसार उपलब्ध नही है परन्तु पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर कच्चा रास्ता है।

विधि शाखा अनुसार ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फास्ट्रक्चर हेतु भूमि आंवटन हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है ग्राम पचांयत द्वारा भूमि की मांग की गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से उपरोक्त भू– तल जलाशय की उपयोगिता के बारे में पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल.आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 995 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौपासनी चारणान, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल. आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम कोटडा के खसरा संख्या 48 में जी.एल.आर टंकी भू–तल जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 09 ::	**ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में राजस्व रेकर्ड अनुसार जेडीए जोधपुर के नाम दर्ज है। भूमि कि किस्म गै.मु. छीतर है। मौके पर भूमि उपलब्ध हैं। प्रस्तावित भूमि खेतेश्वर विद्यापीठ के सामने मुख्य बड़ली सड़क पर स्थित है।

Scanned with OKEN Scanner

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग टूरिज्म सिटी है तथा उक्त भूमि एमडीपी–जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही हैं। उक्त भूमि ग्रामीण रोड पर है। डीसीआर अनुसार फेस्टिवल और टूरिज्म सिटी में उपस्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नही है परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 3/6/2022 के अनुसार प्रतिबंधित भू–उपयोग को छोड़कर बाकी सभी भू–उपयोगों में राजकीय चिकित्सा व सामजिक सुविधायें अनुज्ञेय हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में वाद लम्बित है। परन्तु उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि का आवंटन किया जा सकता है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 गै.मु. छीतर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 3 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2024/ 14-19 दिनांकः– 19-01 2024

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट –1

श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी , 2024 को सायं 05:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

01. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह राजावत , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपु र विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner